जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जेयू/पीएआर./2021/1502 दिनांक : 06/12/2021

//कार्यालयीन आदेश//

प्रायः देखने में आ रहा है कि कुलसचिव कार्यालय में संबंधित विभागों द्वारा पत्रावलियां प्रस्तुत की जा रही है, उन पर नियमों का उल्लेख एवं व्याख्या नहीं रहती है तथा उचित माध्यम द्वारा प्रेषित नहीं होती हैं, जिससे संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लेने में त्रुटि होने की संभावना रहती है।

अतः उक्त संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/विभागाधिकारियों की ओर भेजकर लेख है कि कुलसचिव कार्यालय को पत्रावलियां प्रस्तुत करने के पूर्व उन पर विभाग स्तर पर नियमों का अवलोकन कर अपना स्वंय का अभिमत देकर ही प्रस्तुत की जायें, पत्रावलियों में उपरोक्त का उल्लेख न होने पर यदि कोई वैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक/विभागाधिकारियों की होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/विभागाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. उप/सहा. कुलसचिव, प्रशा./अका./परीक्षा/गोप. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

उप/सहा. कुलसचिव (प्रशा.)